न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 58/2023 निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. रमेश पुत्र सुगनाराम जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा (दलवासा) तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शिवजीलाल पुत्र सुगनाराम जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा (दलवासा) तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. हेमराज पुत्र सुगनाराम जाति मीणा निवासी गोविन्दपुरा (दलवासा) तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार

है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलवी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः— उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। कब्जेकाश्त है। आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। मुताबिक स्थगन पत्रावली उक्त आराजी पर किसी का स्थगन नही है और पूर्व सीमाज्ञान नही होना बताया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2074—2077</u> में अंकित खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 1 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम डाबरखुर्द तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी, प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली